XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान महाविद्यालयों को विकास अनुदान संबंधी दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बारहवीं योजना अवधि के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता संबंधी दिशानिर्देश

क. प्रस्तावना

1. ऐसे महाविद्यालयों का विकास उच्च शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जो उचित मानकों को बनाए रखने, सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने, नवप्रवर्तन और परिवर्तन को बढ़ावा देने, जीविका के उभरते हुए प्रतिमानों से शिक्षा को जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों के समानीकरण की दृष्टि से स्नातक–पूर्व शिक्षा और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। महाविद्यालयों को दी जाने वाली विकास सहायता का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कनेक्टिविटी आदि जैसे आधारभूत सुविधाओं को उन्नत करके पठन–पाठन की प्रक्रिया में सहयोग देना होना चाहिए।

2. महाविद्यालयों की विकास संबंधी आवश्यकता को सावधानी से अभिनिर्धारित करना होगा ताकि संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों के लिए किया जा सके, जिनका महाविद्यालयों में मानविकी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य आदि के स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण, अभिनवीकरण और विविधीकरण के माध्यम से मानकों के सुधार पर सराहनीय प्रभाव पड़ सके, विशेष रूप से उन्हें जीविका के अवसरों से जोड़ा जा सके!

3. लेकिन विद्यमान संस्थानों के विस्तार और समेकन पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ऐसे कमजोर महाविद्यालयों, जिनमें नामांकन कम है और अपर्याप्त सुविधाएं हैं, उन्हें एक समूह में लाने का प्रयास करें ताकि आयोग द्वारा उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके। नए महाविद्यालयों की स्थापना

शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्रों में की जाए, जहां उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं।

4. विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के सर्वोत्तम अनुकूल पाठ्यक्रमों को चयन करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।

5. सामान्य विकास सहायता के अधीन दिया जाने वाला अनुदान ब्लॉक अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जिसमें इस बात की नम्यता होगी कि महाविद्यालय आवश्यकतानुसार उसे खर्च कर सकें। सामान्य सहायता अनुदान (31) और पूंजीगत परिसंपत्तियों (35) के अधीन आबंटन की प्रतिशतता 20:80 के अनुपात के आधार पर होगी। सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास और भवन निर्माण के लिए किया जाने वाला व्यय आता है।

ख. उद्देश्य

1. महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण और पुस्तक बैंक, वैज्ञानिक उपकरण, परिसर विकास, शिक्षण संबंधी साधन और खेलकूद संबंधी सुविधाएं जैसी उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान देना।

2. वर्तमान भवन का विस्तार/मरम्मत और नए भवन के निर्माण के लिए सहायता देना।

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/ अल्पसंख्यक समुदायों और विकलांगों तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को सहायता देना।

4. आसपास के क्षेत्रों में शिक्षायेतर क्रियाकलापों, वयस्क और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि जहां महाविद्यालय स्थित है, उस क्षेत्र के संपूर्ण समाज को लाभ हो।

5. महिलाओं के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

6. महाविद्यालयों में, विशेषतः अध्यापकों की क्षमता निर्माण संबंधी पहलों को सहायता देना और बहु–सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

7. शिक्षण, अनुसंधान, शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक संवृद्धि को प्रभावित करने के लिए नवप्रवर्तन संबंधी विचारों को शामिल करना।

ग. पात्रता की शर्तें

प्रत्येक महाविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा कि वह दो बैचों के पास होने या 6 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी से मान्यता प्राप्त करना। इस योजना के अधीन दी जाने वाली सहायता केवल उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अधीन शामिल हो और जिसे इस अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया हो और जो यहां नीचे दी गई पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।

1. स्नातक–पूर्व शिक्षा के विकास के लिए सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक–पूर्व शिक्षा के विकास के लिए केवल ऐसे महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

ऐसे महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक सहित कम से कम न्यूनतम संख्या में स्वीकृत पूर्णकालिक स्थायी/नियमित पद होने चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को भी उस स्थिति में शामिल किया जा सकता है, यदि वह शिक्षण का कार्य करता/करती हो। ऐसे महाविद्यालय (एकल संकाय महाविद्यालयों के सिवाय) में एक संकाय (अनिवार्य पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में कम से कम तीन शिक्षण विभाग होने चाहिए।

i. **कला/वाणिज्य महाविद्यालय** : ऐसे महाविद्यालय में कम से कम 9 पूर्णकालिक अध्यापकों के स्वीकृत पद होने चाहिए (सरकारी महाविद्यालयों के मामले में यह संख्या 6 पद तक हो सकती है)।

ii. **विज्ञान/बहु–संकाय महाविद्यालय** : ऐसे महाविद्यालय में कम से कम 12 पूर्णकालिक अध्यापकों के स्वीकृत पद होने चाहिए (सरकारी महाविद्यालयों के मामले में यह संख्या 10 पद तक हो सकती है)।

iii. स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले एकल संकाय महाविद्यालय, जिनसे विधि, शारीरिक शिक्षा, समाज कार्य, प्रबंधन, गृह विज्ञान, संगीत और नृत्य, ललित कला, संस्कृत, अध्यापन शिक्षा आदि जैसे स्नातक डिग्री मिलती हो।

ऐसे महाविद्यालय में कम से कम 5 (पांच) पूर्णकालिक स्थायी/नियमित शिक्षकों के स्वीकृत पद होने चाहिए।

iv. बी एड, एम एड/बी पी एड/ एम पी एड पाठ्यक्रम (सामान्य/विशेष) प्रदान करने वाले शिक्षा महाविद्यालय।

ऐसे महाविद्यालय में पूर्णकालिक स्थायी/नियमित शिक्षकों के कम से कम 5 (पांच) स्वीकृत पद होने चाहिए। इस संबंध में एन सी टी ई का अनुमोदन दस्तावेज अवश्यक होना चाहिए।

2. स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सहायता

2.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले एकल संकाय महाविद्यालय

महाविद्यालय में पूर्णकालिक स्थायी/नियमित अध्यापकों के कम से कम 5 स्वीकृत पद होने चाहिए।

2.2 ऐसा महाविद्यालय, स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसमें स्नातकोत्तर विभाग हो और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

2.2 (i) मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में अध्यापकों के कम से कम 4 स्वीकृत पद होने चाहिए।

2.2 (ii) विज्ञान विभाग और व्यावहारिक/फील्ड कार्य वाले विभाग में अध्यापकों के कम से कम 5 स्वीकृत पद होने चाहिए।

2.2 (iii) विभाग संबंधित विषय के कम से कम तीन मानक शैक्षिक पत्रिकाएं अवश्य लेता हो।

2.2 (iv) विभाग द्वारा पिछले तीन वर्ष में ऐसे अनुसंधान के लिए पर्याप्त संभावनाओं का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसका निम्नलिखित में से कम से कम एक के संबंध में या उनके समूह के संबंध में मूल्यांकन किया गया हो:

क. कम से कम एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना
ख. कम से कम तीन लघु अनसुंधान परियोजनाएं
ग. कम से कम पांच अनुसंधान लेख मानक शैक्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हों या प्रकाशन के लिए स्वीकृत किए गए हों।

इसके अलावा, विभाग द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक पत्रिकाओं, यदि कोई हों, एनईटी/एसईटी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को योजना बोर्ड द्वारा उस विभाग के लिए आबंटन को अंतिम रूप देते समय विचार किया जा सकता है।

घ. विकास सहायता के लिए महाविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव तैयार करना

बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता (जीडीए) योजना ब्लॉक अनुदान (पीबीजी) के रूप में प्रदान की जाएगी।

योजना बोर्ड

महाविद्यालय अपनी आवश्यकता का अभिनिर्धारण करने और अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करने के बाद स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु

एक योजना बोर्ड गठित कर सकता है। इसके अलावा प्रधानाचार्य, समन्वयक आईक्यूएसी और वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष बरसर या लेख विभाग का वरिष्ठ अधिकारी इस योजना बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए बजट आबंटन को अंतिम रूप देने के बाद योजना बोर्ड अनुबंध I और II के अनुसार विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करेगा।

महाविद्यालय का योजना बोर्ड विभिन्न स्तरों पर शिक्षण और अनुसंधान के स्तर, जिसमें निम्नलिखित मदें भी शामिल हैं, में सुधार लाने के लिए बारहवीं योजना अवधि के दौरान विकास सहायता के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार होगाः उद्देश्य शीर्ष अर्थात सामान्य सहायता अनुदान '31' और पूंजीगत परिसंपत्तियां '35'। नीचे दी गई प्रत्येक मद के अंत में लघु कोष्ठक में दी गई हैं, जिनमें व्यय को दर्ज किया जाएगाः

महाविद्यालय द्वारा सामान्य विकास सहायता के अधीन जिन मदों पर खर्च किया जा सकता है, उनमें भवन की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन (जिसमें पुराने भवन की मरम्मत भी शामिल है), पुस्तक और पत्रिकाएं, प्रयोगशाला, कनेक्टिविटी, जीविका और परामर्श प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, दिवा देखभाल केंद्र, वार्षिक अनुरक्षण संविदा और आईसीटीआई का विकास आदि भी शामिल हैं।

1) पुस्तक और पत्रिकाएं

पुस्तक और पत्रिकाएं (ई–पत्रिका सहित), सीडीज, माइक्रोफिल्म, जिसमें पुस्तक बैंक की स्थापना और/या विद्यमान पुस्तक बैंक का सुदृढ़ीकरण भी शामिल हैं ताकि सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत में सुधार लाया जा सके। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग अद्यतन प्रकाशनों की खरीद के लिए योजना अवधि के दौरान एकसमान रूप से किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि 'पुरानी' या 'बची–खुची' पुस्तकों की खरीद न की जाए। इस मद के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग पुस्तकों को रखने के प्रयोजन के लिए किया जाए। यह इस शीर्ष के अधीन आबंटित रकम के अंतर्गत होगी **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

2) उपस्कर

उपस्करों में अन्य उपस्करों के साथ–साथ प्रयोगशाला उपस्कर भी शामिल हैं। इनमें रेफ्रिजरेटर, वाटर प्यूरीफायर, फैक्स, डिजिटल कैमरा, एलसीडी/टीवी सहित श्रव्य–दृश्य उपस्कर और अन्य शिक्षण साधन कंप्यूटर और सहायक पुर्जे, सॉफ्टवेयर (जिनमें कार्यालय और पुस्तकालय के आटोमेशन संबंधी सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं), सीसीटीवी, जनरेटर इनवर्टर और रिप्रोग्राफिक सुविधाएं, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, नेटवर्किंग और इंटरनेट कनेक्शन भी शामिल हैं। इनमें टाइपराइटर, कार्यालय फर्नीचर या फिक्सचर शामिल नहीं हैं। इस पैराग्राफ में उल्लिखित उपस्करों से भिन्न उपस्करों के लिए पर्याप्त औचित्य की आवश्यकता होती है और उन्हें आयोग का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही खरीदा जा सकता है। इस मद के अधीन आने वाली 15 प्रतिशत मदों का उपयोग भंडारण के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। यह इस शीर्ष के अधीन आबंटित मांत्रा के अंतर्गत होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात पर बल नहीं देगा कि उस समय राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाए जब सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की किसी योजना के अधीन उपस्करों/पुस्तकों की खरीद करता है। परंतु यह खरीद निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही की जाए और इसमें मानक वित्तीय नियमों का उल्लंघन न किया जाए। लेकिन महाविद्यालय को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधि से खरीदे गए उपस्करों/पुस्तकों की सूची प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति वित्त वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजे **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

4) उपकरणों के अनुरक्षण की सुविधा

महाविद्यालय उपस्कर अनुदान के अधीन उपकरणों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का एक बड़ा पूल तैयार करेंगे, जिसमें समय के साथ–साथ वृद्धि होती है, इसलिए इसके उचित अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इस संबंध में किए जाने वाले व्यय को निम्नलिखित पर खर्च किया जा सकता हैः

- उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे और संघटक **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

- उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में आकस्मिक व्यय **(सामान्य 35)**।

- उपकरणों के प्रयोग, अनुरक्षण, मरम्मत के संबंध में संबंधित विभागों के अध्यापकों, तकनीशियनों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण **(सामान्य 31)**।

- वार्षिक अनुरक्षण संविदा **(सामान्य 31)**।

- भाड़े पर लिए गए तकनीकी कर्मचारियों का पारिश्रमिक **(सामान्य 31)**।

कृपया उपकरणों के अनुरक्षण की सुविधा के संबंध में XIवीं योजना के के विस्तृत दिशानिर्देशों को देखें।

4) भवन का निर्माण/विस्तार/मरम्मत

महाविद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कक्षा के कमरों, कार्याशाला शेडों, पशु गृह पुरुषों के छात्रावास, महिलाओं के छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर्स, अध्यापक होस्टल, ट्रांजिट/अस्थायी, सेमिनार हाल, समिति कक्ष, परामर्श प्रकोष्ठ, सभागार, अनुशिक्षण कक्ष, कैंटीन बिल्डिंग, अनिवासी विद्यार्थी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, खेलकूद की सुविधा और अन्य कार्यों जैसे विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत कर सकता है। सांध्यकालीन महाविद्यालय को भवन परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी, परंतु यह तब जबकि इसके पास अपने स्वामित्व की भूमि हो और वह दिवा महाविद्यालय भवन में कार्यरत न हो। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय महाविद्यालयों को चाहिए कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) के छात्रों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27.5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखे। यह प्रावधान केंद्र द्वारा समर्थित संस्थानों या राज्य स्तर पर अपेक्षित प्रतिशतता के अनुसार किया जाएगा। यदि अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो इन्हें अन्य विद्यार्थियों को दिया जा सकता है।

भवन अनुदान 100 प्रतिशत के आधार पर उपलब्ध होगा। लेकिन भवन के निर्माण, विस्तार और मरम्मत पर किया जाने वाला व्यय सामान्य विकास सहायता के अधीन दिए जाने वाले कुल अनुदान का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय भवन निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों (XIIवीं योजना) में उल्लिखित सदस्यों की एक भवन समिति अवश्य गठित की जानी चाहिए और यह समिति भवन निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों (XIIवीं योजना) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इस परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगी तथा राज्य सरकार के नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगी। भवन समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निधि के उपयोग के लिए भी जिम्मेदार होगी **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

5) विद्यमान परिसरों कासुधार

छोटी–मोटी मरम्मत और अनुरक्षण पर व्यय किया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने (जिसमें सौर ऊर्जा प्रणाली का संस्थापन भी शामिल है), वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, विद्युतीकरण और स्वच्छता संबंधी कार्य, एक्वागार्ड, कुकिंग गैस और अन्य किचन संबंधी सुविधाओं जैसी सुविधाओं को प्राप्त करने, वाशरूम, शौचालयों की फिटिंग/सुविधाएं, प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए स्टैंडबाई फर्नीचर आदि की साधारण मदों के संबंध में अनुदान का उपयोग किया जा सकता है **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

6) महाविद्यालय में क्षमता निर्माण संबंधी पहलें

कर्मचारियों और विद्यार्थियों में विशेष क्षमता निर्माण और पोषण की आवश्यकता होती है। क्षमता निर्माण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय को सामान्य सहायता–अनुदान (31) के अधीन दर्ज किया जा सकता है:

(i) कक्षा कौशल अर्जित करने के लिए अध्यापकों को अभिप्रेरित करना (केवल ऐसे व्याख्याताओं के लिए जिन्हें 5 वर्ष से कम का अध्यापन कार्य का अनुभव हो)।

(ii) प्रधानाचार्य, विभागध्यक्ष और कार्यालय के कर्मचारियों में प्रशासन कौशल का विकास करना।

(iii) पठन–पाठन और मूल्यांकन (सभी अध्यापकों के लिए)।

(iv) कौशल विकास का प्रोन्नयन और सरल कौशलों को सीखना यथा अध्ययन/अनुसंधान की प्रविधि/पुस्तकालय की सुविधाओं का उपयोग/प्रभावी लेखन/विश्वास पैदा करना/ व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार/नेतृत्व कौशल/उद्यमशीलता/विद्यार्थियों की संगोष्ठी और खेलकूद तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना (विद्यार्थियों के लिए)।

(v) विद्यार्थियों, प्रधानाचार्य और अन्य संकाय सदस्यों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में (भारत के अंदर अन्य संस्थानों में) भाग लेना।

(vi) बहु–कार्य कर्मचारियों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7) शैक्षिक नवप्रवर्तन

शिक्षण, अनुसंधान, शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक संवृद्धि को प्रभावित करने के लिए नवप्रवर्तन संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए महाविद्यालय एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे, जिनमें ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा, जो स्थान विशेष से संबंधित हो और जिन्हें शैक्षिक नवप्रवर्तन के अधीन कार्यान्वित भी किया जा सकता है।

महाविद्यालय पाठ्य विवरण को और जागरूक बनाने के लिए नवप्रवर्तन संबंधी विचार लागू करने की सोच सकता है। उदाहरणार्थ इतिहास के अधीन कोई व्यक्ति विरासतों के संरक्षण को इतिहास के रूप में ले सकता है। लेकिन उसे वर्तमान वास्तविकता की भी जानकारी दी जाए। इसमें क्षेत्र–उन्मुखी कार्यक्रमों पर बल दिया जा सकता है जिनमें स्वभाव से अंतःविषयक मामलों को प्राथमिकता दी जाए। अंतःविषयक उपागम के लिए एक से अधिक विभागों को शामिल किया जा

सकता है। सक्रिय अध्येताओं, वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, उद्योगपतियों, शिक्षाशास्त्रियों, संगठनों, यदि लागू हों, के शामिल होने का विवरणों को दिया जा सकता है।

यह व्यय निम्नलिखित मदों पर किया जा सकता हैः

- पुस्तकें और पत्रिकाएं **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।
- उपस्कर **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।
- फील्ड संबंधी क्रियाकलाप **(सामान्य 35)**।
- विशेष आवश्यकता सहित आकस्मिक खर्चे **(सामान्य 31)**।
- विद्वान व्यक्तियों के लिए स्थानीय सुविधाएं, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और मानदेय **(सामान्य 31)**।

8) फील्ड कार्य/अध्ययन दौरे

यदि पाठ्यक्रम में फील्ड कार्य करना या अध्ययन दौरे करने की आवश्यकता हो तो इस शीर्ष के अधीन अनुदान की मांग की जा सकती है। इस अनुदान का उपयोग विद्यार्थियों और साथ में जाने वाले अध्यापकों के परिवहन, सवारी, भोजन और ठहरने पर किया जा सकता है **(सामान्य 31)**।

9) विस्तार संबंधी क्रियाकलाप

समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए विस्तार संबंधी क्रियाकलाप, जो प्रौढ़ साक्षरता, बाल साक्षरता, महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित क्रियाकलाप, मानव अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता आदि जैसे विशेष कार्यक्रम के रूप में हो सकते हैं। इस अनुदान का उपयोग शैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित करने से संबंधित पारिश्रमिक, परिवहन, सुख सुविधा और आकस्मिक व्यय पर किया जा सकता है **(सामान्य 31)**।

10) शिक्षा में आईसीटी

इस अनुदान का उपयोग कंप्यूटरों (सहायक पुर्जों सहित) की खरीद/उन्नयन, इंटरनेट संयोजनीयता, वाई–फाई रूटर और एलएएन, डब्ल्यूएएन कनेक्शनों के लिए किया जा सकता है **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

11) विद्यमान परिसरों की सुविधाओं में सुधार – महिलाओं के लिए सामान्य कक्ष और शौचालय की सुविधाएं

संस्थान के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह महिलाओं (विद्यार्थियों और स्टाफ) के लिए समुचित सामान्य कक्ष और शौचालय की सुविधाएं प्रदान करे। इस पर किए जाने वाले व्यय को पूंजीगत परिसंपत्तियां **(35)** शीर्ष के अधीन दर्ज किया जा सकता है।

12) दिवा देखभाल केंद्र

इस अनुदान का उपयोग स्टाफ और विद्यार्थियों के बचचों के लिए कार्य दिवस के दौरान सुरक्षित स्थान और वातावरण प्रदान करने के लिए आंतरिक आवश्यक सुविधाएं अर्जित करने के लिए किया जा सकता है **(पूंजीगत परिसंपत्तियां 35)**।

13) मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा

वैश्वीकरण के बदलते हुए राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में मानव अधिकार शिक्षा का बहुत महत्त्व बढ़ गया है। विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालय मानव अधिकारों पर विशेष व्याख्यानों और संगोष्ठियों का आयोजन कर सकते है। इस पर किए जाने वाले व्यय को सामान्य अनुदान शीर्ष **(31)** के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है।

14) जीविका और परामर्श प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में जीविका और परामर्श प्रकोष्ठ सूचना, मार्गदर्शन और परामर्श का स्रोत केंद्र होना चाहिए। इसमें निसंकोच पहुंच, इंटरनेट आधारित वैश्विक कनेक्टिविटी और व्यावसायिक स्थापन संबंधी सूचना का आदान–प्रदान होना चाहिए। संस्थान के प्रमुख द्वारा एक समन्वयक अभिनिर्धारित किया जा सकता है।

इस अनुदान का उपयोग कंप्यूटरों, लेज़र प्रिंटर, फोटोकॉपियर, फैक्स आदि की खरीद के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट की सुविधा, भाड़ा प्रभार, परामर्शदाता और अन्य विद्वान व्यक्तियों की सेवाओं से संबंधित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, परामर्शदाता, विद्वान व्यक्तियों और समन्वयक को मानदेय की अदायगी, पठन सामग्री, आकस्मिक व्यय और इस प्रकार के व्ययों पर किया जाएगा। उपस्करों पर किए जाने वाले व्यय को पूंजीगत परिसंपत्तियां **(35)** शीर्ष के अधीन दर्ज किया जाएगा। मानदेय, भाड़ा प्रभार और अन्य व्यय जैसी अन्य मदों पर किए जाने व्यय को सामान्य **(31)** शीर्ष के अधीन दर्ज किया जाएगा।

ड. अनुदान का आधार

सहायता का प्रतिमान अधिकतम योजना ब्लॉक अनुदान के अदंर योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी मदों के लिए 100 प्रतिशत होगा।

च. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

XIIवीं योजना आबंटन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा XIवीं योजना आबंटन और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा। ये अनुदान दो उद्देश्य शीर्षों, सामान्य सहायता अनुदान '31' (सामान्य विकास सहायता का 20 प्रतिशत) और पूंजीगत परिसंपत्तियों '35' (सामान्य विकास सहायता का 80 प्रतिशत) के अधीन योजना ब्लॉक अनुदान (पीबीजी) के रूप में जारी किए जाएंगे। पूंजीगत परिसंपत्तियां (35) शीर्ष में पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपस्करों, फर्नीचर, फिक्सचर, सॉफ्टवेयर, भवन का निर्माण/मरम्मत/विस्तार पर किया जाने वाला व्यय भी शामिल है। अन्य सभी मदें सामान्य

सहायता अनुदान (31) शीर्ष के अधीन आएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि भवन के निर्माण/मरम्मत पर किया जाने वाला व्यय सामान्य विकास सहायता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर सामान्य विकास सहायता के अधीन दिए जाने वाले अनुदान, जिसमें भवन शामिल नहीं हैं, किस्तों में जारी किए जाएंगे ताकि प्रति वर्ष योजना ब्लॉक अनुदान के 20 प्रतिशत को जारी किया जा सके। इस अनुदान की बाद की किस्तों को लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र (अनुबंध III) और लेखापरीक्षित व्यय विवरण (अनुबंध IV) और पिछले अनुदानों से संबंधित संबद्ध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

भवन के संबंध में भवन निर्माण संबंधी बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान जारी किया जाएगा।

टिप्पणीः

ऐसे नए महाविद्यालयों के संबंध में, जिन्होंने XIवीं योजना के दौरान कोई आबंटन प्राप्त नहीं किया था, XIIवीं योजना के योजना ब्लॉक अनुदान का परिकलन XIवीं योजना के सामान्य विकास सहायता संबंधी दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता के मापदंडों को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा। योजना ब्लॉक अनुदान की अधिकतम सीमा से स्वीकार्य अनुदान का परिकलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन उन्हें शामिल किए जाने की तारीख के आधार पर नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगाः

(क) 31 मार्च, 2012 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन रखी जाने वाली महाविद्यालयों की सूची में शामिल किए गए महाविद्यालय अधिकतम 100 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ख) 31 मार्च, 2012 के बाद और 31 मार्च, 2013 को या उससे पहले इस सूची में शामिल किए गए महाविद्यालय अधिकतम 80 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) 31 मार्च, 2013 के बाद और 31 मार्च, 2014 को या उससे पहले इस सूची में शामिल किए गए महाविद्यालय अधिकतम 60 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(घ) 31 मार्च 2014 के बाद और 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले इस सूची में शामिल किए गए महाविद्यालय अधिकतम 40 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ड.) 31 मार्च, 2015 के बाद और और 31 मार्च, 2016 को या उससे पहले इस सूची में शामिल किए गए महाविद्यालय अधिकतम 20 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। उसके बाद महाविद्यालय XIवीं योजना के दौरान कोई अनुदान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

अनुबंध–I

खंड 1 : महाविद्यालय के बारे में आधारभूत सूचना

(कृपया ऐसे मामलों में संगत कॉलम के सामने संलग्नक संख्या का उल्लेख करें, जिनमें अपेक्षित सूचना कागज के अलग पन्ने पर दी गई हो)

1. (क) महाविद्यालय का नाम और पूरा पता, पिन कोड और राज्य तथा एसटी कोड सहित दूरभाष नंबर ....., फैक्स नंबर..... ई–मेल आईडी .....

   (ख) जिले का नाम, जहां कॉलेज स्थित है

   (ग) न्यास/समिति का नाम

2. कॉलेज के बैंक का नाम, पता और खाता संख्या (जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों को डाला जाएगा)

3. विश्वविद्यालय का नाम, जिससे यह महाविद्यालय संबद्ध है:

4. (i) स्थापना की तारीख .....

   (ii) संबद्धता (स्थायी) की तारीख.....

   (iii) यदि अस्थायी है तो तारीख जब तक संबद्धता प्रदान की जाएगी.....

   (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन महाविद्यालय की सूची में शामिल किए जाने की तारीख.....

   (ख) यदि 17 जून, 1972 को या उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किए जाने की तारीख (कृपया प्रतिलिपि संलग्न करें) .....

5. प्रबंधन का प्रकार : सरकारी/निजी/विश्वविद्यालय

6. स्थान

(i) क्या महाविद्यालय शहर/ छोटे कस्बे/ग्रामीण/ दूरस्थ /पर्वतीय/सीमावर्ती/ आदिवासी क्षेत्र में स्थित है (कृपया बीडीओ/एसडीओ/एसडीएम द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें)

(ii) क्या महाविद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित है:

7. (क) क्या यह महाविद्यालय सहायताप्राप्त है अर्थात राज्य/केंद्र सरकार से वेतन अनुदान प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं)

यदि हां तो राज्य/केंद्र सरकार से प्राप्त गैर–योजना (अनुरक्षण) अनुदान की रकम(ग्यारहवीं योजना के दौरान) .....

राज्य/केंद्र सरकार से प्राप्त योजना अनुदान की रकम (ग्यारहवीं योजना के दौरान) .....

प्रतिपूर्ति किए गए व्यय की प्रतिशतता (ग्यारहवीं योजना के दौरान) .....

(ख) शुल्क के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा पैदा किए गए संसाधन .....

अन्य आंतरिक संसाधन .....

बाह्य संसाधन (सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भिन्न).....

जोड़ :

XIवीं योजना के दौरान राज्य/केंद्र सरकार से प्राप्त योजना अनुदान (पूंजीगत व्यय, नए पद, पुस्तकें, उपस्कर)

क्रम सं.	**मद**	**रकम**
1.		
2.		
3.		

4.

जोड़

XIवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान

मद	अनुमोदित रकम	प्राप्त रकम	31 मार्च, 2012 तक प्रस्तुत व्यय का विवरण	31 मार्च, 2013 तक प्रस्तुत व्यय का विवरण
1. 2. 3. 4.				
जोड़ :				

8. कृपया उस श्रेणी का उल्लेख करें, जिसके अधीन यह महाविद्यालय आता है:

(i) कला/वाणिज्य महाविद्यालय

(ii) विज्ञान/बहुसंकाय महाविद्यालय

(iii) एकल संकाय स्नातक–पूर्व महाविद्यालय

(iv) एकल संकाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(v) शिक्षा महाविद्यालय, जो बी एड/एम एड/बी पी एड/एम पी एड पाठ्यक्रम (सामान्य/विशेष) प्रदान करता हो

(vi) क्या विद्यालय के पास स्नातकोत्तर विभाग हैं : हॉ/नहीं

यदि हां तो स्नातकोत्तर विभागों के नामों का उल्लेख करें:

1.

2.

3.

(vii) स्वायत्त महाविद्यालय (क्या महाविद्यालय में उत्कृष्टता की संभावना है) : हां/नहीं

9. पाठ्यक्रम, जिनके लिए स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है (यदि फील्ड/प्रयोगशाला कार्य शामिल है तो कृपया उसका उल्लेख करें)। संबद्धता संबंधी पत्र संलग्न करें।

कार्यक्रम	पाठ्यक्रम का नाम	शामिल फील्ड/ प्रयोगशाला कार्य	विद्यार्थियों को दाखिल देने की क्षमता	नामांकित विद्यार्थी (दिनांक 31.03. 2012 को)*	अध्यापकों की संख्या
स्नातक–पूर्व स्नातकोत्तर					
		जोड़			

*नामांकन की वर्तमान स्थिति का भी उल्लेख करें

10. (क) स्थायी अध्यापकों (या सरकारी महाविद्यालय के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त अध्यापकों) और अस्थायी/तदर्थ (पूर्णकालिक अध्यापकों, अंशकालिक/आमंत्रित/अतिथि अध्यापकों की कुल संख्या :

स्थायी :

अस्थायी/तदर्थ (पूर्णकालिक) :

अंशकालिक/आमंत्रित/अतिथि :

जोड़ :

स्थायी, अस्थायी/तदर्थ (पूर्णकालिक) और अंशकालिक/आमंत्रित/अतिथि अध्यापकों के विवरण अलग–अलग दिए जाएं {(जिसमें उसके नाम, पदनाम, योग्यताएं, मास्टर डिग्री स्तर पर प्राप्त श्रेणी/डिविजन/ग्रेड, एम फिल/पीएच डी, नियुक्ति की तारीख और स्थायीकरण की तारीख) (केवल स्थायी अध्यापकों के मामले में) का उल्लेख हो}

(ख) आरक्षित किए जाने वाले अपेक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अध्यापकों की संख्या और अध्यापकों की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता

क्रम सं.	श्रेणी	आरक्षित किए जाने वाली अपेक्षित संख्या	कार्यरत संख्या	कुल प्रतिशतता

11. 31 मार्च, 2012 को स्नातकोत्तर और उससे ऊपर +2 चरण के बाद की कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन का विवरण

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता	जोड़*	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)				अल्पसंख्यक				आर्थिक रूप से कमजोर				विकलांग			
							पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता	पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता	पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता	पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता	पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता	पुरुष	प्रतिशतता	महिलाएं	प्रतिशतता
1	बी. ए.																													
2	बी. एससी.																													
3	बी. कॉम																													
4	एम. ए.																													
5	एम. एससी.																													
6	एम. कॉम																													

*** %** कुल नामांकन की प्रतिशतता को दर्शाता है।

****** गरीबी रेखा से नीचे की आय वाले परिवारों के विद्यार्थी (राज्य/संघ राज्य/केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार)

12. एनएएसी ग्रेड (समर्थनकारी दस्तावेजों सहित)

खंड 2 स्नातक–पूर्व शिक्षा के लिए योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित निधियां

क्रम सं.	मद	योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित रकम
	आधारभूत विकास अनुदान	
क.	पुस्तकें और पत्रिकाएं	
ख.	उपस्कर	
ग.	उपकरण अनुरक्षण सुविधा	
घ.	भवन, कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय भवन, कार्यशाला शेड, पशु गृह, पुरुष छात्रावास, टाफ क्वार्टर, अध्यापक होस्टल, संगोष्ठी हाल, समिति कक्ष, परामर्श प्रकोष्ठ, सभागार, अनुशिक्षण कक्ष, कैंटीन भवन, अनिवासी विद्यार्थी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र,	

	और अन्य का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	
ड.	विद्यमान परिसरों का सुधार	
च.	महाविद्यालय में क्षमता निर्माण संबंधी पहलें	
छ.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	
ज.	शैक्षिक नवप्रवर्तन	
झ.	फील्ड कार्य/अध्ययन दौरे	
ञ.	विस्तार संबंधी क्रियाकलाप	
ट.	विद्यमान परिसरों की सुविधाओं में सुधार – महिलाओं के लिए सामान्य कक्ष और शौचालय की सुविधाएं	
ठ.	महाविद्यालय में दिवा देखभाल केंद्रों की स्थापना	
ड.	मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा	
ढ.	जीविका और परामर्श प्रकोष्ठ	
ण.	शिक्षा में आईसीटी	
	जोड़	

<u>योजना बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि स्नातक–पूर्व शिक्षा के विकास के लिए महाविद्यालय के प्रस्ताव को महाविद्यालय के योजना बोर्ड द्वारा अंतरिम रूप दिया गया है। इस महाविद्यालय को आवश्यक वित्तीय संसाधनों और प्रबंधकीय क्षमताओं की आवश्यकता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से अधिक व्यय, यदि अपेक्षित हो, का निर्वहन किया जा सके और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बारहवीं योजना अवधि के अंदर इस परियोजना को पूरा किया जा सके और आयोग द्वारा अपेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित लेखों का आवश्यक विवरण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। आयोग से मांगी गई सहायता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संबद्धता की शर्तों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ..... नामक महाविद्यालय..... ..... नामक विश्वविद्यालय से संबद्ध है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन महाविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है और यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता है। यह महाविद्यालय इस बात का वचन देता है कि वह इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए करेगा, जिनके लिए वे स्वीकृत किए गए हैं और यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान की शर्तों में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

योजना बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

मुहर

तारीख .....

कुल सचिव/समन्वयक/निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद् के हस्ताक्षर

मुहर

तारीख .....

प्रमाणपत्र

{केवल ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता हो}। प्रमाणित

किया जाता है कि ..... नाम महाविद्यालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरी करता है और इसकी डिग्री कक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी अपेक्षित संख्या में हैं और यह इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। इस महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक विकास ऐसे हैं जिनसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को अपनी उच्च शिक्षा में सहायता मिलती है। इस महाविद्यालय के पास निर्धारित शर्तों के अनुसार विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने की आवश्यक प्रबंधकीय क्षमता है और यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथापेक्षित सभी आवश्यक लेखे और दस्तावेज आदि प्रस्तुत कर रहा है।

स्थान :

तारीख :

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

मुहर

कुल सचिव/समन्वयक/निदेशक,
महाविद्यालय विकास परिषद् के हस्ताक्षर

तारीखः

मुहर

****** जो लागू न हो, उसे काट दें।

अनुबंध–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बारहवीं योजना अवधि (2012–2017) के दौरान महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित निधियां

(कृपया प्रस्ताव फार्म भरने से पहले दिशानिर्देशों को सावधानी से पढ़ लें। प्रस्ताव केवल ऐसे विभागों के संबंध में किए जाएं, जो उल्लिखित मापदंडों के अनुसार पात्र हों)

खंड 1

1. (क) महाविद्यालय का नाम और पूरा पता, पिन कोड और राज्य तथा एसटी कोड सहित दूरभाष नंबर ....., फैक्स नंबर..... ई–मेल आईडी .....

   (ख) जिले का नाम, जहां कॉलेज स्थित है

   (ग) न्यास/समिति का नाम

2. कॉलेज के बैंक का नाम, पता और खाता संख्या (जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों को डाला जाएगा)

3. विश्वविद्यालय का नाम, जिससे यह महाविद्यालय संबद्ध है:

4. स्थापना की तारीख .....
5. प्रबंधन का प्रकार : सरकारी/निजी और विश्वविद्याल .....
6. क्या यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संबद्धता की निर्धारित शर्तों को पूरा करता है?
7. महाविद्यालय के ऐसे विभागों के नाम, जो दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं

खंड 2

उस विभाग से संबंधित सूचना, जिसके लिए विकास सहायता का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे प्रत्येक विभाग के लिए एक पृथक पन्ना दिया जाएगा।

1. विभाग का नाम .....

2. वर्ष, जबसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया था .....

3. क्या वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्व–वित्तपोषित है या नहीं, जिसके लिए सहायता की मांग की गई है ? हॉ/ नहीं

4. दिनांक (कृपया तारीख का उल्लेख करें)..... को दो–वर्षीय एम ए/एस एससी/एम कॉम आदि के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन की कुल संख्या (चालू सत्र) :
   एमए
   एम एससी
   एम कॉम
   कोई अन्य

5. आवेदन की तारीख को उस विभाग में अध्यापकों की कुल संख्या
   i. पीएच डी की डिग्री वाले .....
   ii. केवल एम फिल की डिग्री वाले .....
   iii. केवल मास्टर डिग्री वाले .....

   कृपया नामों, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, योग्यता आदि सहित सूची संलग्न करें।

6. खरीदी जाने वाली पत्रिकाओं की संख्या और नाम तथा प्रति वर्ष अभिदान की रकम

7. पिछले तीन वर्ष के दौरान इस विभाग में संकाय सदस्यों द्वारा की गई बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं और लघु अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण कृपया इसमें प्रायोजित करने वाली एजेंसी, निधियों, अवधि आदि जैसे विवरणों का उल्लेख करें। इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

8. पिछले तीन वर्ष में स्टाफ द्वारा अनुसंधान प्रकाशनों का विवरण, जिसमें अनुसंधान लेखों के नाम, उस पत्रिका का नाम, जिसमें वह लेख प्रकाशित किया गया है/प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है, प्रकाशन वर्ष आदि जैसे विवरणों का उल्लेख करें।

9. प्रकाशित व्यावसायिक पत्रिका के विवरण

खंड 3

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए अपेक्षित सहायता संबंधी प्रस्ताव

विभाग का नाम

क्रम सं.	**मद**	**योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित रकम**	**विस्तृत औचित्य (कृपया संलग्नक लगाएं)**
1.			
2.			
3.			
4.			
जोड़			

योजना बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि ..... नामक महाविद्यालय .... नामक विश्वविद्यालय से संबद्ध है और और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन महाविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है और यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता है और इसलिए यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। यह महाविद्यालय इस बात का वचन देता है कि वह इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए करेगा, जिनके लिए वे स्वीकृत किए गए हैं और यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान की शर्तों में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस महाविद्यालय के पास निर्धारित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन और प्रबंधकीय क्षमता है। इस विकास कार्यक्रम से इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

स्थान और तारीख :

विभागध्यक्ष के हस्ताक्षर
महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर)

कुल सचिव/समन्वयक/निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्
के हस्ताक्षर
मुहर

प्रमाणपत्र

महाविद्यालय के स्नातक–पूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा स्व–वित्तपोषित नहीं हैं। निम्नलिखित स्नातकोत्तर विभाग (विभाग/विभागों के नाम) भी स्व–वित्तपोषित नहीं हैं:

1.
2.
3.

पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम स्व–वित्तपोषित हैं:

1.
2.
3.

स्थान और तारीख

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

अनुबंध–III

उपयोगिता प्रमाणपत्र और आय तथा व्यय विवरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रोफार्म

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... प्रयोजन (कृपया मद का नाम लिखें) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक..... के जरिए ..... (यहां महाविद्यालय का नाम लिखें) को स्वीकृत ..... रुपए (केवल ..... रुपए) के अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और यह आयोग के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामतः बाद की अवस्था में कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो आपत्ति में उल्लिखित रकम को वापस करने या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए उपर्युक्त अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः सृजित/अधिगृहीत स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों की माल–सूचियां निर्धारित फार्म में रखी जा रही हैं और उन्हें अद्यतन रखा जा रहा है और इन परिसंपत्तियों को निपटाया नहीं गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए विलंगमित या प्रयुक्त नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर .....
प्रधानाचार्य (मुहर सहित)	सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक (मुहर सहित)

विशेष टिप्पणी : उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ ऐसा लेखापरीक्षित लेखा विवरण संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न मदों पर किए गए व्यय का उल्लेख किया गया हो।

अनुबंध–IV

आय और व्यय का विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. एफ..... दिनांक ..... के जरिए अनुमोदित ..... मद का आय और व्यय का लेखापरीक्षित विवरण

आय (रुपए)	व्यय (रुपए)
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान :	(यहां मद के नाम का उल्लेख करें)
2. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान :	
3. महाविद्यालय का अंशदान :	
4. आंतरिक स्रोत, यदि कोई हो :	
5. अर्जित ब्याद, यदि कोई हो :	
6. अन्य , यदि कोई हो :	
जोड़ :	**जोड़ :**

हस्ताक्षर .....
प्रधानाचार्य (मुहर सहित)

हस्ताक्षर .....
सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक
(मुहर सहित)